

Central Goods & Services Tax Act, 2017

CHAPTER – XII

ASSESSMENT

Section 59 : Self-assessment

Every registered person shall self assess the taxes payable under this Act and furnish a return for each tax period as specified under section 39.

अध्याय 12 निर्धारण

धारा 59 : स्व: निर्धारण

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करों का स्व: निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।
